कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक ३०५१ / 14–1 दिनांक, मुजफ्फरनगर ०8/०1/ 2021 ।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग, लक्सर–पुरकाजी(एन0एच0–334ए) 0.00 से 15.089 तक के चौडीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Road/ 40150/2020**

संदर्भः– आपका पत्रांक– /14–10(40150) दिनांक–18.12.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयक प्रस्ताव में कतिपय सूचनाऐं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः वांछित सूचनाऐं एवं अभिलेख निम्नानुसार पूर्ण कर दिये गये है–

क्र0सं0	लगाई गयी आपत्ति	निराकरण
1	ऑनलाईन अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पर सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम अंकित नही है।	ऑनलाईन अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पर सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम अंकित कर दिया गया है।
2	ऑनलाईन अपलोड किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित डिजीटल मैप एवं टोपो शीट पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये है किन्तु नाम अंकित नही किया गया है,	ऑनलाईन अपलोड किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित डिजीटल मैप एवं टोपो शीट पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर के साथ नाम अंकित कर दिया गया है।
3	ऑनलाईन अपलोड की गयी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं बाधक वृक्षों की सूची पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये है किन्तु दिनांक एवं नाम अंकित नहीं किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम अंकित नहीं किया गया।	ऑनलाईन अपलोड की गयी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं बाधक वृक्षों की सूची पर प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये के साथ दिनांक एवं नाम अंकित कर दिया गया है साथ ही क्षेत्रीय वन अधिकारी का नाम भी अंकित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव अपलोड की गयी प्रभागीय निदेशक की साईट इन्फेक्शन के कॉलम "The requirement of forest land approved by the user agensy on col-2 Part-1 is un avoidable and is barest minimum requirered for the project " में Yes/No अंकित नहीं है। तथा " It has been found that the user agency has vioilated the forest conservation Act 1980 provisions, detailed report as per Para 1.9 of chapter 1 Para C of Handbook of forest (Conservation) A 1980 is attached में (X) अंकित है जबकि इस कॉलम में (N.A) अंकित किया जाना चाहिए।	प्रस्ताव अपलोड की गयी प्रभागीय निदेशक की साईट इन्फेक्शन के कॉलम "The requirement of forest land approved by the user agensy on col-2 Part-1 is un avoidable and is barest minimum requirered for the project " में **Yes** अंकित कर दिया गया है तथा " It has been found that the user agency has vioilated the forest conservation Act 1980 provisions, detailed rreport as per Para 1,9 of chapter 1 Para C of Handbook of forest (Conservation) A 1980 is attached में (X) के स्थान पर कॉलम में **(N.A)** अंकित किया कर दिया गया है।

5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक–1428/11–सी दिनांक– 16.12.2020 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्रांक–1559/11–सी–गाईडलाईन दिनांक–31.12.2021 के क्रम में 5.0 है0 से कम क्षेत्रफल वाले चयनित वृक्षारोपण स्थलों का DSS Analysis की आवश्यकता नहीं है। अतः वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल फरखपुर वन ब्लाक हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं स्पष्ट करें, यदि उक्त स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है कि प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल फरखपुर वन ब्लाक हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है। अतः प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
7	प्रस्ताव के साथ पार्ट–3, पार्ट–4 एंव 5 से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये है, कृपया उक्त प्रपत्रों को संलग्न करते हुए प्रस्ताव का इण्डेक्स/ पृष्ठ क्रमांक सूची संशोधित करना सुनिश्चित करें।	प्रस्ताव के साथ पार्ट–3, पार्ट–4 एंव 5 से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न करते हुए प्रस्ताव में संशोधित इण्डेक्स संलग्न कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या–01 से 07 तक लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचनाऐं /अभिलेख संलग्न कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इन्हें अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि। (संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में)

भवदीय

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर